



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 24940

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

पत्रांक: 114 / वि०उ०शि०नि०मं० / हरिद्वार

दिनांक: 04.03.2024

कंपनी सचिव,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
वी.सी.वी. गबर सिंह,
ऊर्जा भवन, कांवली रोड़
देहरादून।

विषय: माह फरवरी 2024 में पारित निर्णयों की प्रतियां।

महोदय,

मंच द्वारा माह फरवरी 2024 में पारित निर्णयों की प्रतियां आपको निम्न तालिकानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

माह	परिवाद संख्या
फरवरी 2024	01/2024, 02/2024, 06/2024, 198/2023, 203/2023, 04/2024, 07/2024, 11/2024, 202/2023, 03/2024, 08/2024, 09/2024, 10/2024, 23/2024

आदर सहित
(प्रतिलिपि संलग्न)


(संजय कुमार)

न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार क्षेत्र



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 01/2024

परिवादी :- श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व० जितेन्द्र सिंह बिष्ट, जे-35, दुर्गा कालोनी, रुड़की कैंट, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 01.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व० जितेन्द्र सिंह बिष्ट, जे-35, दुर्गा कालोनी, रुड़की कैंट, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०- 6811105107943/4010622971 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उनके पति जितेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से है, इस संयोजन का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा कथन किया गया है की मीटर बॉक्स बिजली के पोल से गिर गया था, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत मीटर से नया आउटपुट तार टूट गया और खुला तार बिजली पोल के संपर्क में आ गया। इससे दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 06.02.2023 के दौरान तार में अर्थिंग हो गयी और इससे मीटर रीडिंग उनकी ज्यादा आ गई। उनके द्वारा 1912 के माध्यम से शिकायत सं०-21502230566 की गयी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः मंच से अनुरोध है कि दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 06.02.2023 तक मीटर रीडिंग के बिल सही करवाने तथा ब्याज राशि को माफ करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 27 दिनांक 09.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा संयोजनधारक की मृत्यु की कोई सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को नहीं दी गयी और न ही संयोजन को अपने नाम करवाने हेतु कोई आवेदन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.05.2023 व दिनांक 15.07.2023 को उपखण्ड कार्यालय में बिल के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये वह मृतक के नाम से ही प्रस्तुत किये गये, जबकि मंच के समक्ष दर्ज शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा संयोजनधारक की मृत्यु की दिनांक 11.05.2021 दर्शायी गयी है। शिकायतकर्ता को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अवगत करा दिया गया था कि दिनांक 12.07.2022 को प्रतिस्थापित मीटर सं० 32175040/L&T की रीडिंग खपत के आधार पर ही बिल बने हैं। जिसकी पुष्टि दिनांक 06.02.2023 को स्थापित चैक मीटर परिणाम से भी हुई है। मापक प्रतिस्थापन उपरान्त किसी भी प्रकार की बिलिंग त्रुटि के दृष्टिगत उक्त की मैनुअल गणना सीट के अनुसार बीजक में रु० 322.00 तक जोड़े जाने की पुष्टि हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.12.2023 को अपने बीजक की कुल देय धनराशि रु० 31952.00 का भुगतान कर दिया गया है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती उषा देवी तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अनिता सैनी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

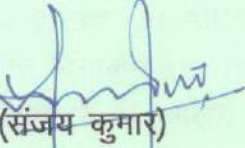
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 16.09.2001 से गतिमान है। परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 12.07.2023 तथा दिनांक 22.02.2023 को मीटर बदला गया है। परिवादिनी को दिनांक 23.11.2021 से दिनांक 15.03.2022 तक जारी तीन बिलिंग चक्रों में औसत विद्युत खपत लगभग 185 यूनिट प्रति माह रही है। परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 12.07.2022 को मीटर संख्या एल-32175040 स्थापित किया गया, जो कि दिनांक 27.02.2023 तक गतिमान रहा। उक्त लगभग सात माह की अवधि में कुल विद्युत खपत 3950 यूनिट दर्ज की गई। इस प्रकार उक्त अवधि में परिवादिनी द्वारा प्रति माह 564 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-एल32175040 द्वारा दिनांक 24.09.2022 से दिनांक 22.11.2022 तक लगभग दो माह की अवधि में मात्र 54 यूनिट, दिनांक 22.11.2022 से दिनांक 20.01.2023 तक की लगभग दो माह की अवधि में 2284 यूनिट तथा दिनांक 20.01.2023 से दिनांक 22.02.2023 तक लगभग एक माह की अवधि में 1256 यूनिट विद्युत की खपत की गई है। दिनांक 22.02.2023 को मीटर संख्या एल32175040 नये मीटर संख्या यू800423 द्वारा बदला गया है। मीटर संख्या यू800423 द्वारा दिनांक 22.02.2023 से दिनांक 25.12.2023 तक की अवधि में लगभग 92 यूनिट प्रति माह विद्युत खपत दर्ज की गई है।

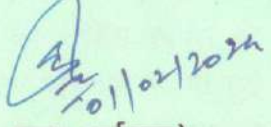
उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन पर यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या एल32175040 द्वारा असामान्य रूप से विद्युत खपत दर्ज की गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत छायाचित्र से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा मीटर बॉक्स से परिसर को जोड़ने वाली केबल को सही प्रकार से स्थापित नहीं किया गया है, जिस कारण केबल के जल जाने से जानमाल को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है तथा परिवादिनी/उपभोक्ता के मीटर पर अनावश्यक विद्युत खपत दर्ज हो सकती है, जबकि परिवादिनी/उपभोक्ता द्वारा वास्तव में इस विद्युत खपत का उपभोग नहीं किया जाता है।

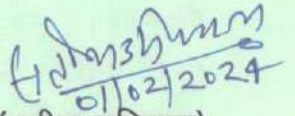
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 20.05.2022 से दिनांक 23.03.2023 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 22.05.2022 से दिनांक 22.03.2023 (दिनांक 15.03.2022 से दिनांक 22.02.2023 तक की अवधि) तक के बिलों को 185 यूनिट प्रति माह की दर पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 20.05.2022 से दिनांक 23.03.2023 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 22.05.2022 से दिनांक 22.03.2023 (दिनांक 15.03.2022 से दिनांक 22.02.2023 तक की अवधि) तक 185 यूनिट प्रति माह की दर पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 02 / 2024

परिवादी :- श्री वजीर पुत्र श्री मो० सफी, प्लॉट नं०-89, गुर्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 01.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री वजीर पुत्र श्री मो० सफी, प्लॉट नं०-89, गुर्जर बस्ती, गैण्डीखाता, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-⁶⁹¹¹³³⁷¹³⁴⁸⁰⁸~~JW11429039676~~ के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने यह कनेक्शन सौभाग्य योजना के अर्न्तगत लिया था। उनके यहां जो कनेक्शन संख्या लगा था उसमें किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ रहा था, जिसकी सूचना उनके द्वारा स्थानीय जे०ई० को दी थी। उसके उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 14.12.2021 को रू० 2000.00 जमा किये गये थे, जो कि प्रार्थी के खाते में दर्ज नहीं किए गए हैं। उनका नाम कनेक्शन में सही कर दिया गया है, परन्तु बिल सही नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3008 दिनांक 10.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर पूर्व में स्थापित मीटर-80290094 लगा चला आता था, परन्तु त्रुटिवश अन्य मीटर सं०-U216427 अंकित होने के कारण उपभोक्ता को आरडीएफ के बिल प्राप्त हो रहे थे। उक्त त्रुटि को बिलिंग हिस्ट्री में सही कर दिया गया है, एवं वर्तमान में पूर्व में स्थापित मीटर की सत्यापित रीडिंग के अनुसार विद्युत बीजक को संशोधित किया गया है, जिसकी संशोधित समायोजन धनराशि रू० -6145.00 प्रस्तावित है।

मंच के समक्ष परिवादी बजीर तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री कमलराज नेगी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 10.11.2018 से 01 किलोवाट भार में गतिमान है। परिवादी को दिनांक 18.11.2022 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं तदपश्चात् दिनांक 13.12.2023 तक लगातार आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं, उपरोक्त आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी के संयोजन पर मीटर संख्या-80290094 स्थापित चला आ रहा है, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को उक्त मीटर पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किए गए

क्रमशः.....02

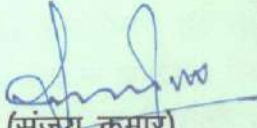
हैं, जो कि मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के बिंदु 5.2.1 (7) का उल्लंघन है, जिस पर विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के अंतर्गत किए गए प्राविधानों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

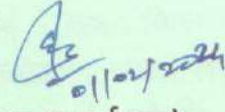
विपक्षी विभाग द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत गणना शीट से यह स्पष्ट होता है कि परिवारी को आरडीएफ आधार पर जारी बिलों का संज्ञान लेते हुए, मीटर संख्या-80290094 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर परिवारी का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है जिसे सुनवाई के दौरान दिनांक 18.01.2024 को इस आशय के साथ परिवारी को उपलब्ध कराया गया कि विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित संशोधित बिल धनराशि पर यदि आपत्ति हो तो वह मंच को सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 25.01.2024 तक प्रस्तुत करे, परंतु परिवारी द्वारा उपरोक्त तिथि तक संशोधित बिल धनराशि पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

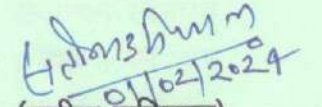
अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवारी को आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त कर मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 10.01.2024 को जारी बिल को संशोधित रू० -6145.00 का बिल जारी करते हुए परिवारी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवारी का यह परिवार निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवारी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवारी का यह परिवार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवारी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 03/2024

परिवादी :- श्री अमीलाल पुत्र श्री भुल्लन, निवासी ग्रा० मुण्डलाना, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 29.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अमीलाल पुत्र श्री भुल्लन, निवासी ग्रा० मुण्डलाना, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०- RD9F291721981 मीटर सं०-9126519 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनके मीटर सं. के संयोजन से पूर्व उक्त स्थान पर मीटर सं०-1963315 संयोजित था जिसमें खराबी होने की सूचना अविलम्ब सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिकारियों को दे दी थी, उक्त में उनके द्वारा उक्त मीटर के स्थान पर अन्य मीटर सं० 9126519 को संयोजित कर दिया गया था। विपक्षी विभाग की ओर से 31.05.2022 से 10.01.2023 तक की समायावधि तक पूर्व की मीटर यूनिट 316 थी तथा वर्तमान की मीटर यूनिट 9316/0 दर्शायी गयी है तथा कुल भुगतान 10.11.2022 तक रू० 126177.00 किया जाना था। दिनांक 10.11.2022 तक की समस्त मीटर यूनिट का भुगतान रू० 126177.00 दिनांक 31.03.2023 को कर दिया गया था। प्रार्थी को इसके पश्चात प्राप्त बिल सं० 526230624000062 दिनांक 10.11.2022 से 31.05.2023 तक की समायावधि का विद्युत बिल प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उनको रू० 75437.00 विद्युत बिल देय था Prev. RDG. 9316/0 तथा Post RDG 41010/0 है। कुल मीटर यूनिट 31694/0 पर विद्युत बिल देय है। विद्युत बिल धनराशि रू० 126177 तथा रू० 75437.00 दोनों ही विद्युत बिल के भुगतान में मीटर सं० 9126519 ही है। दिनांक 10.11.2022 से 31.05.2023 के समय मीटर यूनिट के आधार पर विद्युत बिल जारी करना साबित करता है कि उससे ठीक पूर्व की समायावधि में मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किया गया। अभिलेखों के अनुसार दिनांक 01.02.2022 की विद्युत बिल जारी दिनांक को खराब मीटर सं० 19633125 को नये मीटर सं० 9126519 में बदल दिया गया था तथा उक्त समय मीटर रीडिंग 9316 अंकित थी, अभिलेखों के अनुसार मीटर रीडिंग सं० 9316 से मीटर सं० 41010 तक की विद्युत मीटर रीडिंग 31694 तक का कुल देय रू० 75438.00 होता है जिस पर देरी से पेमेंट का सरचार्ज रू० 9088.39 भी शामिल था जबकि इससे ठीक पहले की समायावधि में भी प्रार्थी दिनांक 30.11.2022 तक के विद्युत भार पर रू० 6303.49 विलम्ब पेमेंट सरचार्ज का भुगतान कर चुका था। अभिलेखों से स्पष्ट है कि मीटर रीडिंग सं० 9316 से 41010 जोकि समायावधि 30.05.2023 तक देय था उस पर कुल भुगतान रू० 75438.00 किया जाना था, जबकि प्रार्थी से मीटर रीडिंग सं० 9316 (31.05.2022 से 30.11.2022) मीटर की रीडिंग दर्शाकर कुल भुगतान विलम्ब शुल्क सहित रू० 126177.00 का भुगतान Due date 30.04.2023 से पूर्व ही 31.03.2023 को किया जा चुका है। पुनः पूर्व मीटर रीडिंग

9316 से 41010 (दिनांक 31.05.2023) दर्शाकर रू० 75438.00 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया। वर्ष 2021 से लगातार वह विद्युत बिल परीक्षण कर उसका संशोधन करने की प्रार्थना सम्बन्धित अधिकारियों से करते आ रहे हैं परन्तु उनके द्वारा विद्युत बिल के परीक्षण एवं संशोधन के विषय में कोई कार्यवाही ना किये जाने के कारण उन पर आर्थिक दण्ड के रूप में लगातार पैनल्टी लगाई जा रही है। जिसके लिए पूर्ण रूप से सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी हैं। पुराने खराब मीटर को बदलकर नये मीटर का संशोधन करने पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियम के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा उनको नये मीटर की कोई रसीद नहीं दी गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें सही मीटर रीडिंग के अनुसार बिल जारी करवा दिया जाए तथा विलम्ब शुल्क न लिए जाने के लिए संबंधित को आदेशित किया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 493 दिनांक 24.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं० RD9F291721981, उपभोक्ता के नाम पर नलकूप के उपयोग हेतु, 10 एच०पी० भार पर दिनांक 19.12.2012 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं०—RD9F291721981 के सापेक्ष दिनांक 14.01.2021 को जारी विद्युत बिल, दिनांक 31.05.2020 से 30.11.2020 तक के लिए रू० 16511.00 का बना है। जो संशोधन के पश्चात, रू० 15520.00, शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.03.2021 को रसीद सं० 9552630003232105050005 के माध्यम से भुगतान किया गया। विद्युत संयोजन सं०—RD9F291721981 का विद्युत बीजक दिनांक 30.11.2020 से 30.11.2022 तक दो वर्ष का विद्युत बीजक रू० 126177.00 धनराशि का दिनांक 31.03.2023 को रसीद सं०—9364131032304040001 के माध्यम से भुगतान किया गया। विद्युत संयोजन सं०—RD9F291721981 के बीजकों का परीक्षणोपरान्त पाया गया कि दिनांक 14.01.2021 को निर्गत विद्युत बीजक सं०—526210114000155 का भुगतान देय तिथि से पूर्व करने के कारण रू० 195.02 तथा दिनांक 05.01.2023 को निर्गत विद्युत बीजक संख्या—526230105000071 का भुगतान देय तिथि से पूर्व करने के कारण दिनांक 24.06.2023 को निर्गत विद्युत बीजक सं० 5262310624000062 में वर्णित विलम्ब अधिभार रू० 4088.39 को कार्यालय ज्ञापन सं० 285 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा समायोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये। वर्तमान रीडिंग 42909 के०डब्लू०एच० विद्युत मापक सं० 9126512 की एमआरआई रिपोर्ट से सत्यापित है। विद्युत संयोजन सं०—RD9F291721981 के बीजक सं० 526231224000122 की धनराशि रू० 81745.00 से विलम्ब अधिभार रू० 4283.83 को घटाये जाने पर संशोधनोपरान्त बीजक धनराशि रू० 77461.59 बकाया है, जो कि भुगतान किया जाना है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अमीलाल तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का विद्युत संयोजन 10 एचपी भार पर दिनांक 19.12.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 03.07.2021 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.02.2022 को एमसी आधार पर तदपश्चात वर्तमान में गतिमान मीटर पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—19633125 (मीटर रीडिंग 51141) को दिनांक 01.04.2021 को मीटर संख्या—8788982 (मीटर रीडिंग—0) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 03.07.2021 को उक्त मीटर रीडिंग 51141 के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है। परिवादी के संयोजन पर दिनांक 01.07.2021 को स्थापित मीटर संख्या—8788982 को दिनांक 16.05.2022 को मीटर संख्या—9126519 (वर्तमान में गतिमान) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2021

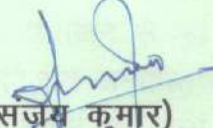
क्रमशः.....03

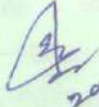
(03.07.2021) से दिनांक 16.05.2022 (01.02.2022) की अवधि हेतु 3795 यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है। तदपश्चात दिनांक 25.07.2022 को मीटर संख्या-9126519 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है जिसमें आईआर-0 दर्शाया गया है, जबकि उक्त मीटर को मीटर रीडिंग 2452 पर स्थापित किया गया है। इस प्रकार परिवादी को 2452 यूनिट का अतिरिक्त विद्युत बिल जारी किया गया है। दिनांक 05.01.2023 को 0 यूनिट का बिल जारी किया गया है। तदोपरान्त परिवादी को एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं तथा विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बिलों में विलंब अधिभार मद में आवश्यक संशोधन करते हुए रु० 4283.83 का समायोजन दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

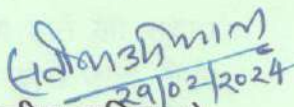
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 25.07.2022 को जारी विद्युत बिल को आईआर-शून्य के स्थान पर आईआर-2452 दर्शाते हुए संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 25.07.2022 को जारी विद्युत बिल को आईआर-शून्य के स्थान पर आईआर-2452 दर्शाते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


29/02/2024
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


29/02/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 04 / 2024

परिवादी :- श्री अफजाल अली पुत्र श्री मीर हसन, दुकान नं० बी-2, नवीन सब्जी मण्डी, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 15.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अफजाल अली पुत्र श्री मीर हसन, दुकान नं० बी-2, नवीन सब्जी मण्डी, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-JW61227106669 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन का निरन्तर बिल जमा किया जा रहा है, लास्ट बिल रू० 243874 का आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 219 दिनांक 25.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन सं०-JW61227106669 श्री अफजल अली पुत्र श्री मीर हसन के नाम से Non Domestic (वाणिज्य विद्या), विद्युत भार 01 किलोवाट में चला आता है। उपभोक्ता के बीजक में दिनांक 28.08.2023 को पूर्व में की गयी विद्युत चैकिंग (विद्युत चोरी) का निर्धारण धनराशि 238884.00 (मय ब्याज) को उक्त के विद्युत बीजक में जोड़कर प्रेषित किया गया है। तथा उक्त के द्वारा दिनांक 05.01.2024 को चैक के माध्यम से रू० 253574.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त चैक के बाउंस हो जाने पर उपभोक्ता को नोटिस प्रेषित किया गया। उपभोक्ता के परिसर पर सतर्कता दल द्वारा दिनांक 20.04.2019 की गयी विद्युत चैकिंग में उपभोक्ता विद्युत मापक से पूर्व इनकमिंग केबिल में कट लगाकर एक अतिरिक्त केबिल जोड़कर 1.755 किलोवाट की विद्युत चोरी करता पाया गया था। जिसकी चैकिंग रिपोर्ट सं० 17192 दिनांक 20.04.2019 है तथा उपभोक्ता को चैकिंग के विरुद्ध धन निर्धारण की बाबत एक पत्र पत्रांक 2009 दिनांक 27.05.2019 प्रेषित किया गया था तथा उपभोक्ता को अवगत कराया गया था कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 व उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (द सप्लाय कोड) रेगुलेशन के अन्तर्गत विद्युत निर्धारण 126064.00 एवं बकाया विद्युत बिल रू० 2086.00 कुल रू० 128150.00 प्रस्तावित है तथा उपभोक्ता को यह भी अवगत कराया गया था कि यदि उपभोक्ता उक्त चैकिंग के विरुद्ध धन निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील की जानी है तो अपील की सुनवाई हेतु माननीय जिलाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी है जिनके यहां पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अफजाल अली तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती शिल्पी सैनी उपस्थित हुए।

क्रमशः.....02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार में दिनांक 03.08.2011 से गतिमान है। परिवादी के परिसर पर दिनांक 20.04.2019 को उपखण्ड अधिकारी/प्रवर्तन दल ज्वालापुर प्रथम द्वारा निरीक्षण के दौरान परिवादी को अवैध रूप से 1.755 किलोवाट विद्युत भार का वाणिज्यिक उपभोग करते हुए पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135/126 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए परिवादी के विरुद्ध राजस्व का निर्धारण किया गया है। परिवादी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत, अवैध रूप से अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किए जाने के विरुद्ध किए गए राजस्व निर्धारण को विवादित ठहराते हुए इस मंच से उक्त धनराशि के संशोधन किए जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत की गई कार्यवाही में इस मंच को क्षेत्राधिकार न होने के चलते परिवादी को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद आधारहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

संलग्नक:- अहममता न्यायिक सदस्य।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail-cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं०-04 / 2024

—:असहमति न्यायिक सदस्य:—

दिनांक-19.2.2024

मंच के सम्मानित सदस्यगणों (तकनीकी सदस्य व उपभोक्ता सदस्य) द्वारा की गई परिवाद विवेचना एवं पारित निर्णय आदेश से निम्नलिखित कारणों के आधार पर मैं न्यायिक सदस्य असहमत हूँ—
परिवाद का मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या परिवादी का परिवाद मंच के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पोषणीय है ?

1. यहकि पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के परिवाद पत्र कागज सं०- 1 के जवाब में विपक्षी द्वारा कागज सं०- 8 प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि परिवाद प्रकरण विद्युत चोरी का है। उक्त के विचारण के सम्बंध में UERC द्वारा जारी दिशा निर्देश प्रावधान 2019 के अध्याय 3.1(4) के अन्तर्गत मंच को प्रश्नगत परिवाद सुनने एवं निस्तारण का अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. यहकि पत्रावली के अवलोकन पर परिवादी की ओर से अपना परिवाद वापस लेने हेतु दिनांक-08.02.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवाद के प्रकरण पर मंच को कार्यवाही क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपने परिवाद को मूल रूप से वापस करने का निवेदन किया गया है। जिस पर मंच के अन्य सम्मानित सदस्यों द्वारा अपने निर्णय में संज्ञान नहीं लिया गया है।
3. यहकि उपरोक्त स्थिति में मंच के सदस्यों द्वारा परिवादी के परिवाद को कुंद शब्दों में निरस्त किया जाना विधि सम्मत आदेश नहीं है। निर्णय आदेश में लिखा जाना चाहिए कि 'परिवाद का प्रकरण विद्युत चोरी होने के कारण इस मंच को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। परिवादी अपना परिवाद सक्षम प्राधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है'।

—:आदेश:—

परिवाद का प्रकरण 'विद्युत चोरी' होने के कारण इस मंच को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। परिवादी अपना परिवाद सक्षम प्राधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।


(Sanjay Kumar)
Judicial Member



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 06/2024

परिवादी :- श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० लाखन लाल शर्मा, नवोदय नगर, रोशनाबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिडकुल, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 01.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० लाखन लाल शर्मा, नवोदय नगर, रोशनाबाद, हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि वह अपने पिता के मकान में निवास करते हैं, उसी मकान के भूतल में उनकी छोटी बहन निवास करती है। उनकी छोटी बहन के द्वारा उनके पिताजी से सन् 2021 में एक फर्जी दाननामा करा लिया गया था, जिसमें दशार्थी गई प्रोपर्टी किसी अन्य व्यक्ति की थी। उनको सन 2022 में पिताजी की मृत्यु के बाद पता चला, जब उनकी छोटी बहन ने पिताजी द्वारा लगाया विद्युत कनेक्शन अपने नाम कराकर उसे पीडी करा दिया गया। उनका उक्त बहन से सिविल कोर्ट में वाद सं० 372 सन् 2022 नरेश बनाम रेखा चल रहा है। उन्होंने अपने मकान के लिये विद्युत विभाग में कनेक्शन के लिये आवेदन किया तो विद्युत विभाग ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिये न्यायालय में आवेदन किया और दिनांक 30.05.2022 को न्यायालय ने उनके हक में विद्युत कनेक्शन देने के लिये एक आदेश पारित किया, उस आदेश में विद्युत विभाग ने उनको एक प्रीपेड मीटर दिया गया, जिसका रिचार्ज उनको विभाग में आकर कराना पड़ रहा है। उन्होंने रु० 5000.00 का रिचार्ज कराकर अपना कनेक्शन ले लिया, परन्तु जब वह अगला रिचार्ज कराने के लिये विद्युत विभाग के कार्यालय में गए तो कर्मचारी ने उनको बताया की उनको रिचार्ज कोड मीटर में से देना होगा, जिसके बाद आपका रिचार्ज होगा। कनेक्शन लगाते समय उन्हें आसानी से रिचार्ज करने की बात बताई गयी थी, उन्होंने जब पूछा की रिचार्ज करने में इतनी लम्बी प्रक्रिया क्यों है तो पता चला कि उनके घर पर जो मीटर लगाया गया है वह मीटर घर के निर्माण के लिये लगाया जाता है, जबकि उनका कोई घर निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने दिसम्बर महीने में रिचार्ज रु० 2000.00 का कराया तो उसमें रु 149.00 की कटौती करके रिचार्ज किया गया, उनके द्वारा पूछने पर रु० 149.00 फीस बता के काटे गये तो इस पर विभाग उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। इस मीटर में कितने यूनिट कट रही है इसका भी कोई हिस्ट्री नहीं निकाल कर दी गयी। अतः मंच से अनुरोध है कि मीटर रिचार्ज की जटिल प्रक्रिया के स्थान पर सामान्य मीटर लगवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 137 दिनांक 16.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 27.04.2023 को संयोजन हेतु आवेदन किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 140 दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से आवेदक को अवगत कराया गया कि

क्रमशः.....02

सम्बन्धित परिसर पर श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा अपने स्वामित्व से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत करते हुये संयोजन हेतु आपत्ति दर्ज की गयी है, जिसमें आवेदक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी, परन्तु उनके द्वारा पुनः कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके उपरान्त श्री नरेश कुमार शर्मा द्वारा न्यायालय के माध्यम से प्राप्त आदेश संलग्न कर अस्थाई संयोजन हेतु आवेदन किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 06.06.2023 को अस्थाई संयोजन निर्गत कर दिया गया। आवेदक की बिलिंग मा० यू०ई०आर०सी० के टैरिफ आर्डर 2023-2024 के अनुसार ही की जा रही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नरेश कुमार शर्मा तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री ओम सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

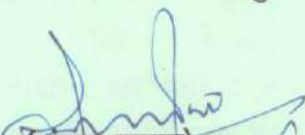
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान में परिवादी श्री नरेश कुमार शर्मा प्रश्नगत परिसर जो कि प्लॉट नंबर एसजी-104, खसरा नंबर 497 में स्थित है, निवासरत हैं। परिवादी द्वारा उक्त परिसर पर घरेलू उपयोगार्थ, 02 किलोवाट भार का विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पत्र दिनांक 27.04.2023 को विपक्षी विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रश्नगत परिसर के वास्तविक स्वामित्व से संबंधित विवाद के चलते विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित एक वाद मा० न्यायालय, सिनियर सिविल जज हरिद्वार में गतिमान है। इसी क्रम में मा० न्यायालय, सिनियर सिविल जज हरिद्वार द्वारा दिनांक 30.05.2023 को आदेशित किया गया है कि प्रश्नगत परिसर परिवादी के कब्जे में है तथा बिजली विभाग, वाद के दौरान तक के लिए बिजली बहाल करने में यथा आवश्यक कार्यवाही करे। मा० न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु दिनांक 27.04.2023 को प्रेषित उनके आवेदन पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में पत्रांक शून्य दिनांक 03.06.2023 को प्रेषित किया गया है, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही न करते हुए परिवादी को अस्थायी विद्युत संयोजन हेतु आवेदन प्रेषित किए जाने को कहा गया। तदोपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 05.06.2023 को अस्थायी विद्युत संयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र (विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया) पर आवेदन प्रेषित किया गया है।

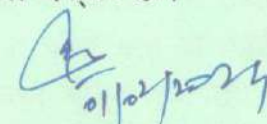
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत परिसर/आवास पर सामान्य घरेलू विद्युत संयोजन के स्थान पर अस्थायी विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना उचित नहीं है, जबकि परिवादी द्वारा पूर्व में ही दिनांक 27.04.2023 को सामान्य घरेलू विद्युत संयोजन के लिए आवेदन प्रेषित किया गया है तथा मा० न्यायालय, सिनियर सिविल जज हरिद्वार के समक्ष परिवादी द्वारा दिनांक 27.04.2023 को सामान्य घरेलू विद्युत संयोजन हेतु प्रेषित आवेदन के संदर्भ में ही प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है तथा मा० न्यायालय द्वारा इसी क्रम में दिनांक 30.05.2023 को आदेश पारित किया गया है।

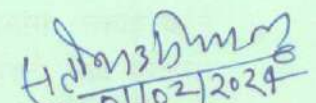
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी के प्रश्नगत परिसर/आवास पर निर्गत अस्थायी विद्युत संयोजन को तत्काल प्रभाव से सामान्य घरेलू विद्युत संयोजन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के प्रश्नगत परिसर/आवास पर निर्गत अस्थायी विद्युत संयोजन को तत्काल प्रभाव से सामान्य घरेलू विद्युत संयोजन में परिवर्तित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 07 / 2024

परिवादी :- श्री परवेज पुत्र स्व० श्री जुल्फीकार, मोहल्ला किला नियर भंडा चौक, मंगलौर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 15.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री परवेज पुत्र स्व० श्री जुल्फीकार, मोहल्ला किला नियर भंडा चौक, मंगलौर, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD21720085724 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन उसके स्वर्गीय पिता श्री जुल्फीकार के नाम पर जो कि एक घरेलू कनेक्शन 2 किलोवाट का है। उक्त कनेक्शन उपभोग वर्तमान में उनके द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा अक्टूबर 2011 और दिसम्बर 2021 से अब तक आरडीएफ में बिल बनाये जा रहे हैं। अक्टूबर 2011 को मीटर खराब (बैक जम्प) होने के कारण उ०पा०का०लि० ने आर०डी०एफ० में बिल जारी किया और उसके बाद अक्टूबर 2011 से जून 2018 तक आर०डी०एफ०/आई०डी०एफ० में लगातार सात वर्षों तक बिल भेजे गये जो कि नियामक आयोग के नियमों का उल्लंघन है। 2021 में छुट योजना के समय जब वह बिल सही करवाने गए तो विद्युत विभाग द्वारा यह कहा गया कि अभी छुट योजना के कारण सभी व्यस्त हैं आपको छुट योजना के कारण ब्याज मुक्त बिल जमा करवाना होगा उसके बाद आपका बिल ठीक कर दिया जाएगा। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार दो बिलिंग साईकल से अधिक भेजे गये गलत बिलों को निरस्त करवाने की कृपा करें और साथ ही उपरोक्त अवधि में कोई भी ब्याज न लगाया जाए क्योंकि दिनांक 23.03.2021 में समस्त बिलों का भुगतान छुट योजना में उनके द्वारा कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिसम्बर 2021 से वर्तमान माह दिसम्बर 2023 तक दो वर्षों से लगातार आर०डी०एफ० के बिल जारी किये जा रहे हैं जबकि मीटर बिलकुल ठीक चल रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनको जारी गलत बिलों को मीटर की रीडिंग के आधार पर संशोधित करवाते हुए ब्याज मुक्त बिल जारी करवा दिया जाए। साथ ही जब तक यह वाद चलेगा तब तक उनका कनेक्शन न काटा जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 464 दिनांकित 24.01.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं० RD21720085724 उपभोक्ता के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट दिनांक 13.09.1999 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं० RD21720085724 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक 502 दिनांक 20.01.2024 द्वारा अवगत

क्रमशः.....02

कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21720085724 पर स्थापित विद्युत मापक की रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं० RD21720085724 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रु० 28547.00 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। शिकायतकर्ता श्री परवेज पुत्र स्व० जुल्फीकार के देहांत का वर्णन होने के आधार पर श्री परवेज पुत्र स्व० जुल्फीकार, मौहल्ला किला, निकट भंडा चौक, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार को विद्युत संयोजन सं० RD21720085724 अपने नाम स्थानान्तरित कराये जाने हेतु उपखण्ड कार्यालय मंगलौर के पत्रांक 512 दिनांक 23.01.2024 द्वारा सूचित किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

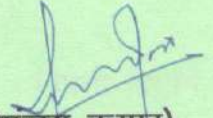
मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

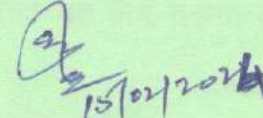
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 13.09.1999 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.02.2021 को जारी बिल का पूर्ण भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2021 से दिनांक 12.10.2021 तक परिवादी को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 12.12.2021 से दिनांक 18.12.2023 तक लगातार आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जो कि मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के बिंदु 5.2.1 (7) का खुला उल्लंघन है। विपक्षी विभाग द्वारा इस संबंध में ठोस कार्यवाही किया जाना अतिआवश्यक है ताकी उपभोक्ताओं को दो बिलिंग चक्रों से अधिक अवधि के अनंतिम बिल जारी नहीं किए जा सकें। परिवादी के बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर पर दिनांक 18.01.2024 को मीटर पर रीडिंग 3450 कंडब्लूएच अंकित पाई गई है। अर्थात् परिवादी द्वारा दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 18.01.2024 तक, 27 माह की अवधि में मात्र 79 (3450-3371) यूनिट के विद्युत खपत करते हुए औसतन लगभग 3 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत का उपभोग किया गया है जो कि व्यवहारिक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होता है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 10.10.2020 से दिनांक 12.10.2021 तक लगभग 12 माह की अवधि में कुल 1260 यूनिट, अर्थात् 105 यूनिट प्रतिमाह विद्युत का उपभोग किया गया है जो कि परिवादी के संयोजन पर स्वीकृत भार के सापेक्ष सही प्रतीत होता है।

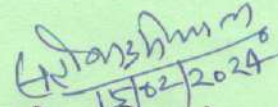
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 12.12.2021 से दिनांक 18.12.2023 तक आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर को दोषरहित नये मीटर से प्रतिस्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 12.12.2021 से दिनांक 18.12.2023 तक आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित करते हुए परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर को दोषरहित नये मीटर से प्रतिस्थापित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 08 / 2024

परिवादी :- श्री शशि चौहान उर्फ शशि कुमार पुत्र श्री रतीराम, ग्रा0 नूरपुर पंजनहेडी, पो0 मिसरपुर, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 29.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शशि चौहान उर्फ शशि कुमार पुत्र श्री रतीराम, ग्रा0 नूरपुर पंजनहेडी, पो0 मिसरपुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0-JW61424180499 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने अपने खेत नूरपुर पंजनहेडी में मार्च 2018 में बिजली का कनेक्शन लेकर खेत में मीटर लगवा लिया था, परन्तु 10 दिन के बाद किसी कारणवश विद्युत विभाग हमारे खेतों तक बिजली भेजने में असमर्थ रहा और मेरे मीटर से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। उस घटना के बाद वह कई बार विद्युत विभाग में जाकर अपनी समस्या दर्ज करवाते रहे, परन्तु विभाग द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। एक लंबे समय के बाद अप्रैल 2023 में उनके द्वारा दोबारा अपनी समस्या के बारे में विद्युत विभाग को अवगत कराया और समस्या का निवारण के लिए आवेदन किया, उनके आवेदन के बाद मई 2023 से विद्युत विभाग द्वारा बिजली की सप्लाई सफलतापूर्वक शुरू हो गई थी। बिजली की सप्लाई शुरू होने के बाद दिसम्बर 2023 में विद्युत विभाग से उन्हें प्रथम बिल प्राप्त हुआ था, परन्तु उस बिल में रू0 153592.00 की धनराशि लिखी हुई है। बिजली का बिल देने के पश्चात 8 जनवरी 2024 को उनके व उनके परिवार के किसी भी सदस्य की जानकारी के बिना ही बिजली विभाग ने उनका बिजली कनेक्शन काट दिया था। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए तथा बिजली की सप्लाई चालू करवा दी जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 213 दिनांक 23.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, जगजीतपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 22.02.2018 को मीटर संख्या 75175791 स्थापित कर विद्युत भार 04 किलोवाट का अघरेलू विद्युत संयोजन-JW61424180499 निर्गत किया गया था एवं वर्तमान तक चला आ रहा है। उपभोक्ता को दिनांक 11.10.2023 से पहले दिनांक 27.08.2020 को मीटर रीडिंग 226 पर कुल 218 यूनिट हेतु रू0 8830.00 का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया था, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया था। इसके उपरान्त माह 09/2020 से 09/2023 तक उपभोक्ता को आरडीएफ के आधार पर विद्युत बीजक प्रेषित किये जाते रहे। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की

(Handwritten signature)

क्रमशः.....02

आख्या के आधार पर माह 10/2023 में 1426 रीडिंग पर कुल 1200 यूनिट का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया था। माह 09/2020 से 09/2023 की अवधि में आर०डी०एफ० के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजकों का समायोजन नहीं होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बीजक विधिवत संशोधित किया गया था, जो कि अनुमोदन हेतु उपखण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया था, अनुमोदन के उपरान्त उपभोक्ता के लेखे में दिनांक 27.01.2023 को रू० 92860.00 (CCBR"s) का समायोजन कर दिया गया था।

मंच के समक्ष परिवादी श्री शशि चौहान तथा विपक्षी की ओर से श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 04 किलोवाट भार पर दिनांक 22.02.2018 से स्वीकृत है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2018 को एमयू आधार पर 07 यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। दिनांक 22.04.2018 को एमयू आधार पर लगभग एक माह की अवधि का 0 (शून्य) यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। दिनांक 22.05.2018 से दिनांक 17.07.2018 तक एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 23.10.2018 को मात्र 02 यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 29.03.2018 से दिनांक 23.10.2018 तक, लगभग 7 माह की अवधि में मात्र 02 यूनिट विद्युत की खपत दर्ज की गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। तदपश्चात दिनांक 15.11.2018 से दिनांक 11.10.2023 तक (मात्र एक बिल दिनांक 27.08.2020 को छोड़कर) 53 बिलिंग चक्रों के लिए, आरडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विनियम, 2020 का घोर उल्लंघन किया गया है। दिनांक 27.08.2020 को जारी बिल में आईआर-8 तथा एफआर-226 दर्ज की गई है तथा परिवादी द्वारा दिनांक 29.03.2018 से दिनांक 27.08.2020 तक, लगभग 29 माह की अवधि में 7.5 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2023 को जारी बिल में आईआर-226 तथा एफआर-1426 दर्शायी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 27.08.2020 से दिनांक 11.10.2023 तक, लगभग 38 माह की अवधि में 31.58 यूनिट प्रतिमाह की दर से कुल 1200 (1426-226) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर विद्युत की आपूर्ति सुचारु नहीं रही है। परिवादी के कथनानुसार प्रश्नगत संयोजन पर मई 2023 से ही विद्युत आपूर्ति सुचारु चल रही है। इस प्रकार मई 2023 से माह अक्टूबर 2023 के मध्य 1200 यूनिट अर्थात् 240 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 11.10.2023 से दिनांक 22.12.2023 के मध्य 449 (1875-1426) यूनिट अर्थात् लगभग 190 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि मई 2023 से अक्टूबर 2023 के मध्य दर्ज विद्युत खपत की तुलना में सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी का यह कथन कि उनके संयोजन में मई 2023 से पूर्व विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं थी, सही प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा 53 बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम (आरडीएफ) आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

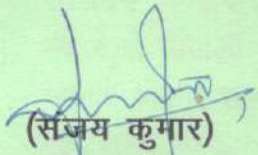
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उनके प्रश्नगत संयोजन पर माह मई 2023 से सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी के संयोजन पर विद्युत आपूर्ति सुचारु न रहने की दशा में परिवादी को किसी भी प्रकार का विद्युत बिल जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक

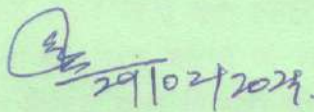
क्रमशः.....03

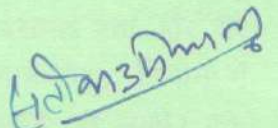
22.04.2018 से दिनांक 30.07.2020 तक आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 27.08.2020 को जारी बिल में दिनांक 30.07.2020 को मीटर रीडिंग आईआर-08 तथा दिनांक 27.08.2020 को मीटर रीडिंग एफआर-226 मानते हुए एक माह का विद्युत बिल जारी करने तथा दिनांक 27.09.2020 से दिनांक 22.12.2023 तक समस्त आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 28.04.2023 को मीटर रीडिंग आईआर-226 तथा दिनांक 27.12.2023 को एफआर-1875 मानते हुए 8 माह का संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है तथा उपरोक्त उल्लेखित अवधि के अलावा किसी भी अवधि के लिए फिक्स चार्ज आदि का बिल परिवादी को जारी न किए जाने की भी आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 22.04.2018 से दिनांक 30.07.2020 तक आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 27.08.2020 को जारी बिल में दिनांक 30.07.2020 को मीटर रीडिंग आईआर-08 तथा दिनांक 27.08.2020 को मीटर रीडिंग एफआर-226 मानते हुए एक माह का विद्युत बिल जारी करे तथा दिनांक 27.09.2020 से दिनांक 22.12.2023 तक समस्त आरडीएफ आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 28.04.2023 को मीटर रीडिंग आईआर-226 तथा दिनांक 27.12.2023 को एफआर-1875 मानते हुए 8 माह का संशोधित बिल जारी करते हुए उपरोक्त उल्लेखित अवधि के अलावा किसी भी अवधि के लिए फिक्स चार्ज आदि का बिल परिवादी को जारी न करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 09/2024

परिवादी :- श्रीमती रूकसाना पत्नी श्री मेहरबान, निवासी-महमूदपुर, पोस्ट-पिरान कलियर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 29.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रूकसाना पत्नी श्री मेहरबान, निवासी-महमूदपुर, पोस्ट-पिरान कलियर, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 686DKK6167471 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन 05 किलोवाट जिसका एकाउन्ट नम्बर 41700276676 स्थापित चला आता है, जिसका उपभोक्ता द्वारा एक घरेलू व्यवसाय करती है, जो कि उसकी एक मात्र आजीविका का साधन है। उक्त विद्युत संयोजन के अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है। वह निरन्तर रूप से उपरोक्त संयोजन का विद्युत बिल जमा करती चली आ रही है। जनवरी माह में अपने उपरोक्त संयोजन का विद्युत बिल ऑनलाईन माध्यम से जमा करने की कोशिश कर रही थी, तब उनको ज्ञात हुआ कि विपक्षी ने उनके ऊपर उपरोक्त संयोजन का कुल विद्युत बकाया रू० 5,15,342.00 दर्शाया हुआ है जबकि वह समय-समय पर अपना बकाया बिल का भुगतान करती चली आ रही हैं। जब विस्तृत बिल प्रिंट किया, तब ज्ञात हुआ कि वर्तमान माह का कुल बिल मात्र रू० 6,454.67 आया है, जबकि विपक्षी ने कुल बकाया धनराशि रू० 5,15,342.00 दर्शाया हुआ है। जब उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में जाकर इस विषय की जानकारी चाही तो विपक्षी द्वारा उनको कहा गया कि आपके बिल पर कुछ पुराना बकाया रुपये 5,02,901.00 चले आ रहे हैं, जो कि इस बिल में जुड़कर आये हैं और आपको यह पूरा जमा करना होगा तभी आपका विद्युत संयोजन जोड़ा जायेगा अन्यथा आपका कनेक्शन कटा ही रहेगा। इस प्रकार विपक्षी ने उनका बिल भी ठीक नहीं किया और विद्युत कनेक्शन भी मीटर सहित काट लिया है, जो कि वर्तमान में भी कटा हुआ है। उनके एवं विद्युत विभाग के मध्य सेवा प्रदाता के सम्बन्ध चले आते हैं। विपक्षी द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। विपक्षी उपरोक्त कृत्य सेवा में कमी एवं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है। अतः मंच से अनुरोध है कि गलत बिल रू० 5,15,342.00 को ठीक किया जाये, साथ ही विपक्षी को आदेशित किया जाए कि गलत बिल की धनराशि रू० 5,15,342.00 वाद निस्तारण तक उनसे न वसूलें एवं उसके हक में एक स्टे आदेश पारित करते हुए विपक्षी को यह आदेशित किया जाये कि रू० 5,15,342.00 उनसे ना वसूले जायें व उनका उपरोक्त संयोजन मय मीटर पुनः स्थापित किया जाये।

विपक्षी का उपरोक्त कृत्य सेवा की कमी व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अन्तर्गत आता है, जिस कारण विपक्षी पर जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है साथ ही अगर अन्य कोई अनुतोष जो माननीय मंच को ठीक लगे विपक्षी से उनको दिलाया जाये।

Handwritten signature क्रमशः.....02

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 280 दिनांकित 24.01.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा संयोजन संख्या 686DKK6167471 अघरेलू लोड 05 किलोवाट का उपभोग किया जा रहा है। उक्त कनेक्शन पर दिनांक 19.05.2022 को विद्युत चोरी 3.652 किलोवाट की पाई गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में कर दी गई थी। जिसका निर्धारण रू० 450265.00 पत्रांक 1840 दिनांक 01.06.2022 द्वारा किया गया था जिस पर उपभोक्ताकर्ता श्री मेहरबान द्वारा अपनी आपत्ति पत्र दिनांक 01.07.2022 विभाग में प्रस्तुत की, जिस पर कार्यवाही करते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 3058 दिनांक 16.08.2022 द्वारा रू० 402940.00 का अन्तिम निर्धारण किया गया, जिस पर उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक भी जमा नहीं कराया गया है साथ ही उपभोक्ता द्वारा वाद माननीय राज्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम देहरादून में लम्बित है। उपभोक्ता द्वारा धनराशि न जमा कराये जाने के कारण विभाग द्वारा निर्धारण राशि रू० 443234.00 माह 06/2023 को उपभोक्ता के बिल में जोड़ दिये गये थे। अवगत कराना है कि दिनांक 13.12.2023 को चेकिंग के दौरान पुनः यह पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा पुनः विद्युत चोरी की जा रही थी अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के उप बिन्दु (1)(i) के तहत निर्धारण कार्यालय पत्रांक 5802 दिनांक 28.12.2023 द्वारा रू० 687483.00 किया गया, जिसमें 3.651 किलोवाट की चोरी पाई गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में कर दी गई थी।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री सिद्धार्थ मनचंदा तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री सजल हटवाल उपस्थित हुए तथा दिनांक 01.02.2024 को मंच द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध विपक्षी विभाग द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। न्यायहित में मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक 15.02.2024 एवं दिनांक 29.02.2024 को दो अवसर प्रदान किए गए, जिनमें परिवादिनी मंच के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मंच द्वारा पत्रावली का निस्तारण किया जा रहा है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी श्रीमती रूकसाना पत्नी श्री मेहरबान के नाम से विद्युत संयोजन संख्या-680के000167471, 05 किलोवाट भार पर दिनांक 01.04.2017 से स्वीकृत है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.05.2022 को निरीक्षण के दौरान श्री मेहरबान पुत्र इन्द्रीश, महमूदपुर को विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। चेकिंग रिपोर्ट 10/460 दिनांक 19.05.2022 में निरीक्षण टीम द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त व्यक्ति अर्थात् श्री मेहरबान द्वारा अपने वैद्य विद्युत संयोजन से अतिरिक्त एलटी लाइन पर सीधे एक केबल डालकर 3.652 किलोवाट की वाणिज्य विद्युत चोरी की जा रही है, जबकि रिपोर्ट में उल्लेखित विद्युत संयोजन संख्या-686/167471 श्रीमती रूकसाना पत्नी मेहरबान के नाम से स्वीकृत है। चेकिंग रिपोर्ट में उल्लेखित विद्युत संयोजन संख्या-686/167471 से स्पष्ट होता है कि श्री मेहरबान को उसी परिसर पर विद्युत की चोरी करते हुए पाया गया जिसे उक्त विद्युत संयोजन (संख्या-686/167471) द्वारा ऊर्जीकृत किया गया है। अर्थात् श्री मेहरबान द्वारा चोरी की जा रही विद्युत की मात्रा संयोजन संख्या-686/167471 पर स्थापित विद्युत मीटर पर रिकार्ड नहीं की जा सकी। इस प्रकार विद्युत चोरी का लाभ संयोजन संख्या-686/167471 के धारक द्वारा लिया गया है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा चेकिंग रिपोर्ट में उल्लेखित विद्युत संयोजन संख्या-686/167471 को विच्छेदित किया जाना नियमानुसार उचित प्रतीत होता है। विपक्षी विभाग द्वारा श्री मेहरबान द्वारा की जा रही विद्युत चोरी के सापेक्ष रू० 402940.00 का राजस्व निर्धारण किया गया है जिसे श्रीमती रूकसाना के विद्युत बिल में जोड़ा गया है जो कि तकनीकी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं

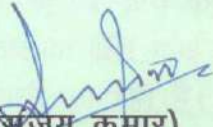
क्रमशः.....03

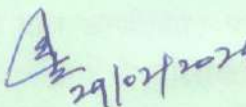
होता है। जहां तक परिवादिनी द्वारा उक्त विद्युत संयोजन को पुनः स्थापित किए जाने का कथन किया गया है, तो चैकिंग रिपोर्ट में उल्लेखित उक्त संयोजन (संयोजन संख्या-686/167471) को नियमानुसार विच्छेदित किए जाने के फलस्वरूप उक्त विद्युत संयोजन को पुनः स्थापित किए जाने की मांग को कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि श्री मेहरबान द्वारा विद्युत की चोरी उसी परिसर पर की गई है, जिसे संयोजन संख्या-686/167471 द्वारा ऊर्जीकृत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि इस विद्युत चोरी का लाभ परिवादिनी द्वारा भी उठाया गया है।

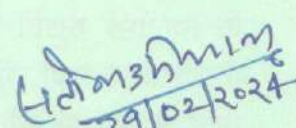
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादिनी (संयोजन संख्या-686/167471 धारक) के विद्युत बिल से, श्री मेहरबान के विरुद्ध विद्युत चोरी के सापेक्ष किए गये राजस्व निर्धारण को हटाये जाने की आवश्यकता है। मंच द्वारा पत्रांक 50 दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से निर्गत दिशा-निर्देश जो कि परिवादिनी एवं विपक्षी विभाग को प्रेषित है को अतिक्रमिक करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी (संयोजन संख्या-686/167471 धारक) के विद्युत बिल से, श्री मेहरबान के विरुद्ध विद्युत चोरी के सापेक्ष किए गये राजस्व निर्धारण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(राजिव कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 10 / 2024

परिवाद पंजीकरण का दिनांक-24.01.2024

परिवादी :- श्रीमती पिकी भट्ट, भट्ट निवास, कुंज गली, खडखडी, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम-23.2.2024

निर्णय दिनांक 29.2.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्रीमती पिकी भट्ट, भट्ट निवास, कुंज गली, खडखडी, हरिद्वार द्वारा परिवाद पत्र कागज सं०-1 मय सलग्नक कागज सं०-2 ता 10 प्रस्तुत कर नया विद्युत संयोजन लेने के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से किराये पर रह रही है। इस भवन में विद्युत बिल अत्यधिक होने के कारण बिल नहीं जमा कराया गया जिसके कारण विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया गया था जिस पर भवन स्वामी के दो पुत्रों ने विभाग पर दबाव बनाकर पृथक-पृथक विद्युत संयोजन प्राप्त कर लिया जबकि उक्त भवन पर विभाग का लाखों रुपया बकाया चला आ रहा है। भवन स्वामी की मृत्यु होने के उपरान्त उसका विद्युत जो उसी भवन से संचालित था। विभाग के विद्युत विच्छेदन किये जाने के उपरान्त भवन स्वामी के दोनों पुत्रों द्वारा अपना-अपना पृथक कनेक्शन ले लिया गया जिसमें से मेरे को किसी के भी द्वारा विद्युत संयोजन नहीं दिया गया। जिसके बाद मान्य न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन हरिद्वार से विजली व पानी की सुविधा प्राप्त करने के आदेश जारी कराकर दोनों भाईयों से अपने लिए विद्युत संयोजन को सुचारु रूप से संचालन हेतु अनुरोध किया परन्तु दोनों में से किसी के द्वारा भी कनेक्शन नहीं दिया गया। जिसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड भूपतवाला के समक्ष अपना निजी कनेक्शन करने हेतु आवेदन किया गया। जिसका

Handwritten signature

रजिस्ट्रेशन नं० 520091123004 है। लेकिन कई महीने बाद भी अभी तक विद्युत संयोजन नहीं दिया गया है जिसमें विभागीय अधिकारियों से अनुरोध करने के उपरान्त अवर अभियन्ता द्वारा स्पष्ट रूप से कनेक्शन जारी करने से इंकार कर दिया क्योंकि उक्त भवन पर विभाग का लाखों रूपया बकाया है। जिन भवन स्वामियों के द्वारा विभाग का विद्युत भुगतान नहीं किया गया और उनका विद्युत विच्छेदन विभाग के द्वारा कर दिये जाने के बाद भी बकाये का भुगतान किये बिना उसी भवन पर भवन स्वामी के दोनों पुत्रों को दो पृथक-पृथक नये कनेक्शन जारी कर दिये गये क्योंकि वे प्रभावशाली व्यक्ति है। लेकिन वह विधवा बीमार एवं वृद्ध होने के साथ-साथ अस्थमा रोगी भी है इसके उपरान्त भी विभाग द्वारा मेरे पक्ष में विद्युत संयोजन इस कारण रोका जा रहा है कि उक्त भवन पर विद्युत भुगतान बकाया है। इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा दोहरे मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं जोकि उसके साथ अन्याय है। अतः उसने मंच से उसके नाम पर संयोजन जारी करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के उत्तरवाद पत्र कागज सं०-14 (मय संलग्नक कागज सं०-15 ता 19) में उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 77 दिनांकित 07.02.2024 द्वारा कथन किया कि श्रीमति पिकी भट्ट के द्वारा वि०वि०उपखण्ड कार्यालय भूपतवाला मे एक आवेदन किया गया था जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 52001123004 है जिसमें कि अवर अभियन्ता के द्वारा बकाया होने की स्थिति मे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 2020 के अनुसार संयोजन निर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त परिसर पर पूर्व में विद्युत बिल बकाया होने के कारण जिसका विद्युत बिल 210781.00 रु० है जिसकी प्रति भी संलग्न है अथवा विभागीय अधिवक्ता की विधिक राय भी संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री विनित शर्मा तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्रीमती अर्चना उपस्थित आये। मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवाद का विवादित बिन्दु यह है कि—

क्या किरायेदार के रूप मे परिवादी अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त वाद बिन्दु के निस्तारण हेतु नये विद्युत कनेक्शन के सम्बंध मे विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान अध्याय 3.3.2, व अध्याय 3.3.3 (3) एवं विद्युत विच्छेदन के सम्बंध मे अध्याय 6.1(1) एवं बकायादेय के सम्बंध मे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) मे प्रावधान है।

परिवादी ने न्यायालय सिविल जज (एस.डी.) हरिद्वार के आदेश दिनांक - 26.10.2023 (कागज सं० 26 ता 30) व शपथपत्र प्रति कागज सं० - 31 व 32 प्रस्तुत किया है। उक्त आदेश में मान्य न्यायालय द्वारा परिवादी को विपक्षी का किरायेदार मानते हुए विपक्षी मकान मालिक को यह निर्देशित किया गया है कि— ‘वह सब मीटर लगाकर बिजली तथा पानी के कनेक्शन की सुविधा

4/11/24

प्रार्थिनी (परिवादी) को दिया जाना सुनिश्चित करे, जिसमें बिल का भुगतान प्रार्थनी करेगी । यदि विपक्षी यह बिजली – पानी की सुविधा दिये जाने में असफल रहता है तो प्रार्थनी सम्बंधित विभाग से अपने खर्चे पर विद्युत एवं पानी का कनेक्शन लगाये, जिसका समस्त भुगतान प्रार्थनी द्वारा किया जायेगा। इस आदेश का प्रभाव केवल बिजली एवं पानी के कनेक्शन के सम्बंध में ही है।'

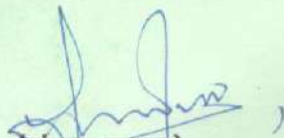
परिवादी ने कागज सं०-24 के द्वारा कथन किया है कि न्यायालय का उक्त आदेश आज दिनांक-23.02.2024 तक प्रभावी चला आता है। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि उसने न्यायालय के आदेशानुसार श्री सर्वेश्वर भट्ट जी से विद्युत संयोजन पूर्व की भांति सुचारुरूप उसे संयोजन हेतु अनुरोध किया था, जिस पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया गया है जिसका शपथपत्र परिवादी ने विपक्षी विभाग को प्रेषित करने का कथन किया है तथा फोटो प्रति कागज सं०-24, 25 पत्रावली पर दाखिल की है। विपक्षी की ओर से कागज सं०-24, 25 पर ही टिप्पणी लिखी गयी है कि उपरोक्त परिसर पर श्री सर्वेश्वर भट्ट के नाम से विद्युत संयोजन सं०-691/0127/697170 चल रहा है एवं श्रीराममूर्ति के नाम से संयोजन सं०-691/0127/005356 पर बकाया चल रहा है। विपक्षी जवाब कागज सं०-14 में बकाया रकम रु० 210781.00 दर्शायी गयी है, परंतु विपक्षी विभाग ने उक्त रकम की वसूली क्यों नहीं की अथवा वसूली कार्यवाही का कोई विवरण अपने जवाब में नहीं लिखा है। न ही विपक्षी ने सर्वेश्वर भट्ट को परिसर पर बकाया होने के बावजूद कनेक्शन दिये जाने का कारण आधार प्रकट किया गया है। सर्वेश्वर भट्ट को कनेक्शन दिये जाने की स्थिति में अध्याय 3.3.3(3) के प्रावधान परिवादी पर लागू नहीं होते हैं। विपक्षी ने श्रीराममूर्ति के नाम से संयोजन सं०-691/0127/005356 को स्थाईरूप से काटे जाने अथवा विपक्षी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 56 (2) का अनुपालन किये जाने का भी कोई कथन नहीं किया गया है। सम्भवतः विपक्षी द्वारा वसूली कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत न किये जाने के कारण वसूली करने का अधिकार नहीं रहा है। विभाग कर्मचारियों की लापरवाही व वसूली के प्रति उदासीनता के कारण ही विभाग को राजस्व की हानि हो जाती है, जिस पर विपक्षी विभाग की ओर से गम्भीरता पूर्वक विचार कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना परम आवश्यक है। संज्ञान में आया है कि बकायेदार श्री राममूर्ति भट्ट का स्वर्गवास वर्षों पूर्व हो चुका है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत एवं न्यायालय सिविल जज (एस. जी.) हरिद्वार के पी०ए० वाद सं०-10/2022 के निर्णय दिनांक-26.10.2023 के अनुसार एवं विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान 3.3.2 के अन्तर्गत परिवादी को नया विद्युत संयोजन का निर्गत किया

Handwritten signature

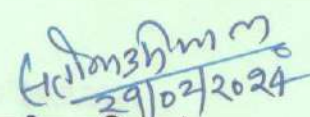
जाना न्याय की दृष्टि से उचित एवं आवश्यक है तथा परिवादी अपने नाम पर नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को किरायेदार के रूप में परिवादी के पंजीकरण स0-520091123004 पर नया विद्युत कनेक्शन अविलम्ब निर्गत करे। आदेश अनुपालन आख्या अनुपालन दिनांक के सात दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

11/2024

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 14/2024

परिवादी :- श्री रविकान्त पुत्र स्व० श्री आनन्द त्यागी, गंगा इन्क्लेव, निकट मालवीय चौक, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 15.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रविकान्त पुत्र स्व० श्री आनन्द त्यागी, गंगा इन्क्लेव, निकट मालवीय चौक, रुड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 680K000487805, खाता संख्या 42100294413 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त संयोजन को माह मई 2023 में उन्होंने अपने नाम पर परिवर्तित कराया है। उसके पश्चात लगातार प्राप्त विद्युत बिलों का भुगतान किया जा रहा है। माह दिसंबर 2023 में रु० 898765.00 का बिल प्राप्त हुआ है जो कि पूर्व के बिलों के सापेक्ष अत्यधिक है, जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गलत मीटर रीडिंग के कारण उन्हें अधिक धनराशि का बिल जारी किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रुड़की ने अपने पत्र संख्या-344 दिनांकित 30.01.2024 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी श्री रविकान्त निवासी मालवीय चौक, रुड़की, संयोजन संख्या-680K000487805 का अक्टूबर 2023 का विद्युत बीजक रु० 82616.00, एमआरआई के आधार पर बनाया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री रविकान्त को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री सजल हटवाल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 05 किलोवाट भार पर दिनांक 20.03.2021 से स्वीकृत है। परिवादी को दिनांक 22.06.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 31.07.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक एनए आधार पर तदपश्चात दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 05.01.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री तथा मीटर की एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा समय-समय पर, मीटर पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं।

Handwritten signature

क्रमशः.....02

एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग तथा बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी को जारी बिलों में दर्शायी गई मीटर रीडिंग निम्नानुसार है:-

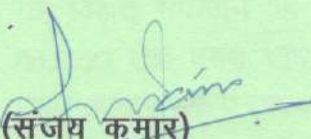
क.सं.	एमआरआई के अनुसार			बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार		
	दिनांक	मीटर रीडिंग	खपत (यूनिट)	बिल दिनांक	मीटर रीडिंग	खपत (यूनिट)
1	01.03.2023	19079	285	23.03.2023	15491	209
2	01.04.2023	19364	381	24.04.2023	15780	289
3	01.05.2023	19745	1065	23.05.2023	16150	370
4	01.06.2023	20810	1721	22.06.2023	16143	262
5	01.07.2023	22531	1564	31.07.2023	एनए	—
6	01.08.2023	24095	1903	31.08.2023	एनए	—
7	01.09.2023	25998	1889	30.09.2023	एनए	—
8	01.10.2023	27887	1017	—	—	—
9	01.11.2023	28904	477	07.11.2023	28904	12491
10	01.12.2023	29381	537	09.11.2023	29395	491
11	01.01.2024	29918		05.01.2024	29918	523

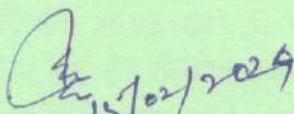
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-8842191 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस संदर्भ में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विपक्षी द्वारा, दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं/परिवादी को समय-समय पर उनके द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के सही बिल प्राप्त हो सकें। परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर की एमआरआई रिपोर्ट तथा बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत से कम यूनिट के बिल जारी किए गए हैं तथा दिनांक 07.11.2023 को परिवादी के मीटर में दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किया गया है, तथा दिनांक 07.11.2023 के पश्चात वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं, जो कि सही प्रतीत होते हैं।

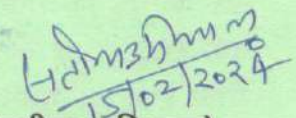
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 23/2024

परिवादी :- श्री अजय पाल सिंह रावत, ग्रा० कोटा मुरान्यू, लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 29.02.2024

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी अजय पाल सिंह रावत, ग्रा० कोटा मुरान्यू, लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है समस्त ब्लाक दुगड़डा के क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले बीपीएल क्षेत्री के ग्रामीणों को कुटीर ज्योति कनेक्शन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र को आधार मानते हुए बीपीएल संयोजन निर्गत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही आय प्रमाण पत्र को बीपीएल विद्युत संयोजन स्वीकृत किए जाने का आधार निर्धारित किया जाए। वर्तमान समय में शासन द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं की उक्त समस्या का निवारण करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 22.02.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (कोटद्वार), के अर्न्तगत 33 केवी उपसंस्थान, दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री अजय पाल सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्रीमती नन्दिता अग्रवाल व उपखण्ड अधिकारी श्री रवि अरोड़ा के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया। विपक्षी के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी, श्री रवि अरोड़ा ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही उभय पक्ष के तर्क सुने गए और सुनवाई पूर्ण की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद पत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी क्षेत्र में बीपीएल क्षेत्री के ग्रामीणों को कुटीर ज्योति कनेक्शन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में निवासरत संभावित विद्युत उपभोक्ताओं के बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। अतः बीपीएल संयोजन निर्गत किए जाने हेतु आय प्रमाण पत्र के आधार पर बीपीएल संयोजन जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि वर्तमान में शासन स्तर से बीपीएल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं।

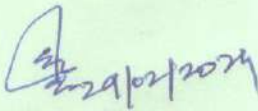
परिवादी द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद से संबंधित समस्या शासन एवं प्रशासनिक स्तर की है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही विपक्षी एवं शासन को करनी है जिस हेतु इस मंच को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

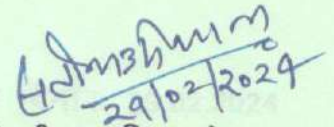
क्रमशः.....02

इस संबंध में विपक्षी विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकी परिवादी क्षेत्र में कम आय वाले संभावित उपभोक्ताओं को बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत विद्युत संयोजन जारी किए जा सकें। इस परिवाद पत्र की प्रति विपक्षी को भेजी जानी उचित होगी, जिससे इस मामले में सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जा सके।

आदेश

परिवादी के द्वारा मांगे गये उपचार के सन्दर्भ में मंच की अधिकारिता न होने के कारण परिवादी का यह परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 198 / 2023

परिवादी :- श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, कनखल, जगजीतपुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 15.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, कनखल, जगजीतपुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-JW11429039676 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका संयोजन जगजीतपुर स्थित आवास पर लगा था, उनका आवास पुराना होने के कारण ध्वस्त हो गया था तथा विद्युत मीटर को विभाग द्वारा 2311 रीडिंग पर उतार कर कनेक्शन काट दिया था। उसके उपरान्त वह अपना आवास छोड़ कर किराये पर रहने लगे थे। वर्तमान में उनको तहसील द्वारा इस संयोजन के लिए एक रिकवरी नोटिस रू० 1,24,466.00 का भेजा गया है जो कि उचित मूल्य नहीं है। इस रिकवरी नोटिस से उनको मानसिक आघात लगा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें 2311 यूनिट का बिल जारी करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 40 दिनांक 03.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरफूल को दिनांक 11.07.1992 को तत्कालीन खण्ड द्वारा संयोजन सं०-JW11429039676 निर्गत किया गया था। तत्कालीन खण्ड, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, सिडकुल द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरफूल संयोजन सं-JW11429039676 का अस्थाई विच्छेदन माह अप्रैल/2005 तथा स्थाई विच्छेदन दिनांक 10.07.2012 को मानते हुए, स्थाई विच्छेदन की धनराशि रू० 124488.00 (रू० 25 डाक चार्ज सहित) का, उपभोक्ता को सेक्शन-03 निर्गत किया गया। जो कि उक्त उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया। वर्तमान में इस खण्ड द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल संयोजन सं०-JW11429039676 के रू० 124491.00 का सेक्शन-05 (पत्र सं० 5230250104551788 दिनांक 02.05.2023) को, खण्ड कार्यालय के पत्रांक 2437 दिनांक 27.05.2023 के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार को वसूली हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 28.12.2023 को राजस्व संग्रहकर्ता द्वारा उक्त सेक्शन-05 के सापेक्ष रू० 10000.00 खण्ड कार्यालय में जमा कराये गये हैं।

मंच के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र सिंह तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस० के० गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 11.07.1992 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से यह विदित होता है कि परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन अस्थायी रूप से अप्रैल 2005 में तथा दिनांक 10.07.2012 को स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष जारी किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादी को अंतिम देय विद्युत बिल की धनराशि रु० 124466.00 की वसूली हेतु पत्रांक 6451 दिनांक 01.11.2013 के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देय वसूली) अधिनियम 1958 की धारा-3 के अधीन डिमांड नोटिस जारी किया गया है, परंतु परिवादी द्वारा उक्त नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त धारा-3 के तहत जारी नोटिस के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देय वसूली) अधिनियम 1958 की धारा-5 के माध्यम से विद्युत देय धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष, लगभग 13 वर्ष की अवधि में जारी किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत देय की वसूली हेतु उत्तराखण्ड सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देय वसूली) अधिनियम 1958 की धारा-5 के अंतर्गत की गई कार्यवाही उचित प्रतीत होती है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

संलग्नक:- सहसर्गता न्यायिक सदस्य ।



परिवाद स०-198 / 2023

—:असहमति न्यायिक सदस्य:—

दिनांक-19.2.2024

मंच के सम्मानित सदस्यगणों (तकनीकी सदस्य व उपभोक्ता सदस्य) द्वारा की गई परिवाद विवेचना एवं पारित निर्णय आदेश से निम्नलिखित कारणों के आधार पर मैं न्यायिक सदस्य असहमत हूँ—

परिवाद का मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या परिवादी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 10.07.2012 को स्थाई रूप से विच्छेदित होना स्वीकार किये जाने के उपरांत विपक्षी को 11 वर्ष बाद दिनांक 27.05.2023 को परिवादी के विरुद्ध सेक्शन-5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है ?

1. यहकि मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने अपना जवाब कागज सं०- 9 के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक - 10.7.2012 को परिवादी का कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित करना मानते हुए परिवादी के विरुद्ध रुपये 124466.00 फाइनल किया गया है। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक- 01.11.2013 को सेक्शन-3 का नोटिस निर्गत किया गया है जिसका डाक खर्च रु० 25/- जोड़कर रिकवरी प्रमाणपत्र रुपये 1,24,491.00 का दिनांक 27.05.2023 को जारी किया गया परंतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर नोटिस निर्गत किये जाने का अथवा नोटिस प्राप्ति का पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दिनांक 10.7.2012 स्थाई विच्छेदन किया जाना भी मानते हुए का कथन किया गया है यानि विपक्षी का रिकार्ड भी दुरुस्त नहीं है।
2. यहकि बकाया वसूली के सम्बंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित होने के दो वर्ष के उपरांत वसूली करने का अधिकार विद्युत विभाग को प्राप्त नहीं होता है। विपक्षी के कथनों के आधार पर दो वर्ष की अवधि दिनांक-27.05.2015 को समाप्त हो चुकी है।
3. यहकि विपक्षी विभाग का परिवादी के विरुद्ध बकाया वसूली अधिकार समाप्त होने के जिम्मेदार विपक्षी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं जोकि सम्बंधित कार्यधारियों अथवा अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही व उदासीनता के कारण हुआ है। विभागिय कार्यधारियों से विभाग को हुए राजस्व

(Sanjay Kumar)

वसूली की हानि की भरपाई के सम्बंध में विभागिय स्तर पर न्याय संगत विचार किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

4. यहकि विपक्षी द्वारा पत्रावली पर दाखिल करगज सं०-10 कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा परिवाद का कनेक्शन सं०-11429039676 को दिनांक- 27.05.2013 को स्थाई रुप से विच्छेदित करने के उपरांत भी लगातार सात विद्युत बिल परिवादी को जारी किये गये है जोकि विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के प्रावधान अध्याय 6.2(5) का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है तथा परिवादी को निर्दिष्ट मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार देता है। उपरोक्त के दृष्टिगत मंच के अन्य दोनो सम्मानित सदस्यो के इस कथन से सहमत नही हुआ जा सकता कि "पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो से यह विदित होता है कि परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन अस्थायी रुप से अप्रैल 2005 तथा दिनांक 10.7.2012 को स्थाईरुप से विच्छेदित किया गया है, परिवादी द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष जारी किसी भी विद्युत बिल का भुगतान नही किया गया है।" तथा वसूली कार्यवाही को उचित ठहराया है। सम्पूर्ण कथन कानून सम्मत नही है। क्योकि विपक्षी के पास अस्थायी का दिनांक नही है न ही सात वर्ष बाद दिनांक 10.7.2012 को स्थाई विच्छेदन का कोई कानून है। न ही स्थाई विच्छेदन के उपरांत बिल प्रेषित करने का कानून है।
5. यहकि उपरोक्त के दृष्टिगत उपभोक्ता के विरुद्ध प्रेषित रिकवरी को निरस्त किया जाना न्याय संगत है। परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल संयोजन सं०- 11429039676 के विरुद्ध रुपये 1,24,491.00 की वसूली हेतु जारी पत्र सं०- 5230250104551788 दिनांकित 2.05.2023 व पत्रांक सं०-2437 दिनांक 27.05.2023 को निरस्त किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता के विरुद्ध प्रेषित रिकवरी को निरस्त कर सूचना सम्बंधित कलेक्टर एवं उपभोक्ता को प्रेषित करें। आदेश अनुपालन की सूचना निर्णय तिथि के 30 दिन अथवा अनुपालन तिथि के 7 दिन के भीतर मंच के समक्ष उपलब्ध कराई जाये। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।


(Sanjay Kumar)
Judicial Member
CGRF, Haridwar



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 202 / 2023

परिवादी :- श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, प्लॉट नं०-42, विवेकानन्द एनक्लेव, जगजीतपुर, कनखल, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 29.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, प्लॉट नं०-42, विवेकानन्द एनक्लेव, जगजीतपुर, कनखल, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं०-JW71429151580 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा बिल के संबंध में शिकायत की गयी जिसके उपरान्त चैक मीटर लगाया गया और चैक मीटर को पुराने मीटर से बदल दिया गया। उनका मीटर चैक मीटर की तुलना में 47 प्रतिशत तेज पाया गया। इसी आधार पर रू० 52705.00 का बिल जारी किया गया। लेकिन उनकी विद्युत खपत पिछले छह माह में वर्तमान में जारी बिल की तुलना में बहुत कम रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 5909 दिनांक 26.12.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड जगजीतपुर द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 552 दिनांक 23.12.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता की शिकायत क्रमांक 22007230734 के आधार पर उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 26.07.2023 को चैक मीटर सं० 9145553 स्थापित किया गया था, जो कि दिनांक 29.09.2023 को 390 रीडिंग पर फाइनल किया गया था। सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला, सिडकुल की आख्यानसार उपभोक्ता का मैन मीटर 15676243 चैक मीटर 9145553 की तुलना में 47 प्रतिशत तेज पाया गया था। सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला, सिडकुल की आख्यानसार उपभोक्ता का विद्युत बीजक नियमानुसार संशोधित किया गया था, जो कि अनुमोदन हेतु उपखण्ड कार्यालय पत्रांक 519/वि०वि०ए०ख०ज०ह०/दिनांक 02.12.2023 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया, अनुमोदन के उपरान्त उपभोक्ता लेखे में दिनांक 06.12.2023 रू० 12694.00 का (CCBR's) समायोजन कर दिया गया था।

मंच के समक्ष परिवादी श्री आशीष गुप्ता तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का

क्रमशः 02

यह विद्युत संयोजन 05 किलोवाट भार पर दिनांक 25.11.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 22.09.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी द्वारा दिनांक 17.07.2023 तथा दिनांक 21.08.2023 को क्रमशः 3396 तथा 3138 यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं जिन्हें परिवादी द्वारा पूर्व में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष अत्यधिक बताते हुए विवादित ठहराया गया है। परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-15676243 के एमआरआई रिपोर्ट से विदित होता है कि उक्त मीटर पर दिनांक 01.07.2023 को मीटर रीडिंग 3562.69 कंडब्लूएच तथा दिनांक 23.07.2023 को मीटर रीडिंग 9672.31 कंडब्लूएच दर्ज है अर्थात् परिवादी द्वारा दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 23.07.2023 तक, 23 दिनों की अवधि में 6110 यूनिट (266 यूनिट प्रतिदिन) की विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर दिनांक 26.07.2023 को चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 29.09.2023 को चैक मीटर फाइनल किए जाने पर प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या-15676243, 47 प्रतिशत तेज पाया गया।

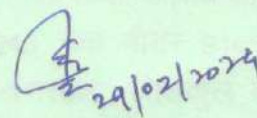
उपरोक्तानुसार परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर पर दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 23.07.2023 के मध्य अत्यधिक विद्युत खपत दर्ज होने तथा चैक मीटर के फाइनल रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मीटर संख्या-15676243 दोषपूर्ण था। अतः उक्त मीटर द्वारा दिनांक 01.07.2023 के पश्चात दर्ज की गई विद्युत खपत को पूर्णतया सही नहीं ठहराया जा सकता है।

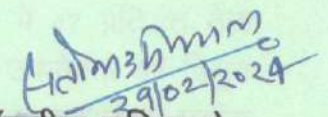
अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 19.07.2023 से दिनांक 23.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 21.06.2023 से दिनांक 29.09.2023 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 23.11.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या-9145553 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 19.07.2023 से दिनांक 23.11.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 21.06.2023 से दिनांक 29.09.2023 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 23.11.2023 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या-9145553 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 203/2023

परिवादी :- श्रीमती नसीम अख्तर, निवासी मो० मलानपुरा मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 15.02.2024

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नसीम अख्तर, निवासी मो० मलानपुरा मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा विद्युत संयोजन सं०-RD11719092458 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि इस कनेक्शन का मीटर 5-6 वर्ष पूर्व उतार लिया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा खण्ड कार्यालय में पत्र दिनांक 04.08.2023 को जमा कराया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं कि गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके कनेक्शन को पीडी करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 491 दिनांक 24.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं० RD1171992458 उपभोक्ता के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट, दिनांक 12.12.2009 को निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता श्री मोबिन पुत्र अथर हसन द्वारा माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत विद्युत संयोजन सं०-RD1171992458 को स्थाई विच्छेदन कराने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी मंगलौर द्वारा प्रेषित पत्रांक 510 दिनांक 23.01.2024 के साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर खण्ड कार्यालय द्वारा रू० 20771.00 धनराशि का अन्तिम भुगतान तय करते हुए कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 466 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा जारी किया गया है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन सं०-RD1171992458 के बकाया रू० 20771.00 का भुगतान किये जाने के उपरान्त स्थायी विच्छेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जायेगी।

मंच के समक्ष परिवादी श्रीमती नसीम अख्तर के प्रतिनिधि श्री मोबिन तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी के नाम यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 12.12.2009 में स्वीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 05.07.2018 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी द्वारा दिनांक 05.07.2018 तक एमयू आधार पर जारी बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। परिवादिनी के पुत्र/प्रतिनिधि श्री मोबिन द्वारा दिनांक 04.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रश्नगत

Handwritten signature

क्रमशः.....02

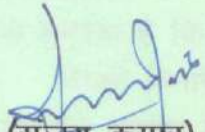
संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने हेतु विपक्षी विभाग को प्रेषित किया गया है, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, फलस्वरूप परिवादिनी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष इस संदर्भ में शिकायत दर्ज की गई है, जिसे मंच द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पंजीकृत किया गया है।

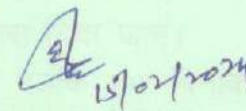
मंच द्वारा पत्रांक 646 दिनांक 30.12.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु पत्रांक 153 दिनांक 06.01.2024 तथा पत्रांक 333 दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से अतिरिक्त समय की मांग की गई। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को अपना जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 25.01.2024 तक का समय दिया गया। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 491 दिनांक 24.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत संयोजन को अस्थायी विच्छेदन की तिथि 30.11.2018 को संज्ञान में लेते हुए, स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही की गई है तथा परिवादिनी को अंतिम देय विद्युत धनराशि रु० 20771.00 से अवगत कराया गया है।

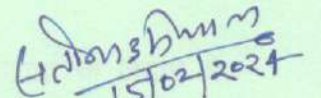
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादिनी के संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने की कार्यवाही विपक्षी विभाग द्वारा संपादित करते हुए शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।